22/7/25. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी॰ प्र॰ में पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर है।

प्रार्थी ने बहस के दौरान अपने प्रा॰ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 256

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय ________ ज्ञानदेवी ________ बनाम ________ महिपाल आदि

_____________________ : _____________________ /20

मुकदमा संख्या / वर्ष ________ ढ / अपील

| क्र०सं० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 22/7/25 | रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नांगल जैसा बोहरा तह० व जिला - जयपुर, जो कि इस वाद की विवादग्रस्त भूमि है, ~~वादिया~~ उस पर प्रार्थिया राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व अर्थात् संवत् 2010 से पूर्व ही समअधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पूर्वज गंगाबक्श उक्त भूमि पर संवत् 2010 से पूर्व से ही बहैसियत काश्तकार खेती करते आ रहे हैं। प्रार्थिया ने यह भी जाहिर किया कि वर्तमान में उक्त भूमि पर रहने के |

# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

बनाम

केस संख्या

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 24/8/18 | आवासीय मकानात व प्रार्थिया के पशुओं के लिए बाडे आदि बने हुए हैं। जिन पर प्रार्थिया मय परिवार के निवास कर रही है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थिया के पक्ष में बखूबी साबित है। और यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थिया, को विवादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित होने की पूरी सम्भावना है अतः अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करमाया जावे कि भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थिया को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे तथा भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे। <br>[signature] <br>सहायक कलक्टर <br>जयपुर शहर प्रथम | |

# फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

सहायक कलक्टर
नाम न्यायालय जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 01 132/22

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | 28/7/25 | अप्रार्थीगणों ने अपने जवाबी कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया का विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में तथा वादियों के पूर्वजों का नाम सहखातेदार/खातेदार के रूप मे कहीं पर कोई इन्द्राज नहीं किया गया है।<br>अप्रार्थीगणों ने दौराने बहस यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थिया या पूर्वजों का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, तो जब प्रार्थिया का कोई कब्जा काश्त नहीं है तो |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

(प्रार्थी) बनाम (अप्रार्थी) आदि

केस संख्या TA 132/22

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 24/7/25 | बेदखल करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थिया ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्य पर आधारित वाद-पत्र पेश किया है। अत: प्रार्थिया का प्रा०पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।<br><br>उभयपक्षरान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता-पूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के साथ यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी | |

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

ज्ञानदेवी बनाम राजस्थान सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 132/22

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | वि |
|---|---|---|---|
| | 22/7/25 | निषेधाज्ञा पेश हुआ है। वाद-पत्र में घोषणा का मुख्य आधार/विषय काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व का काबिज-काश्त होना है। उसी आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।<br>चूंकि प्रार्थिया विवादित भूमि पर लम्बे समय से काबिज-काश्त है, प्रार्थिया को जबरन बेदखल किया जावेगा तो अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।<br>सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम | |

# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

ज्योतिजी बनाम महिपाल शर्मा वगैरह

...म न्यायालय

...स संख्या 71-13488

| ... संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 22/7/25. | अतः वाद की विवादित भूमि को संरक्षित रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि में से प्रार्थिया को उनके कब्जे-काश्त से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जबरन बेदखल ना करें।<br>निर्णय आज दिनांक 22/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>जयपुर शहर प्रथम | |